<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231167 CG-DL-E-16112021-231167

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] No. 563] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

फा. सं. एन-12/13/01/2019-यो.एवं.वि.—जबिक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 01.07.2021 से 30.06.2022 की अविध के लिए शिथिल पात्रता शर्तों तथा विधित राहत दर के साथ जोिक भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खण्ड-4 (क्रम सं. 436), दिनांक 16.10.2020 तथा क्रम सं. 15, दिनांक 11.01.2020 में अधिसूचित की गई, को आगे विस्तार करने हेतु मसौदा अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खण्ड-4 (क्रम सं. 329), दिनांक 13.08.2021 को प्रकाशित की गई।

और जबिक उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13.08.2021 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी;

और इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अत: अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खण्ड-4 (क्रम सं. 436), दिनांक 16.10.2020 तथा क्रम सं. 15, दिनांक 11.01.2021 में यथा अधिसूचित वर्धित राहत दर तथा शिथिल पात्रता शर्तों के साथ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में 01.07.2021 से 30.06.2022 तक की अविध के लिए विस्तार करने के अपने निर्णय को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (यो. एवं वि.) [विज्ञापन-III/4/असा,/424/2021-22]

6619 GI/2021 (1)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2021

F. No. N-12/13/01/2019-P&D.— Whereas draft notification further to extend the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2021 to 30.06.2022 with relaxed eligibility condition and enhance of rate of relief notified in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section – 4 (Sl. No. 436) dated 16.10.2020 and Sl. No. 15 dated 11.01.2020 was published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III—Section-4 (Sl. No. 329) dated 13.08.2021.

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 13.08.2021;

And no suggestion was received from the persons likely to be affected;

Now, therefore in exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to extend Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2021 to 30.06.2022 with enhanced rate of relief and relaxed eligibility conditions as notified in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No. 436) dated 16.10.2020. and Sl. No. 15 dated 11.01.2021.

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./424/2021-22]